चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ''मिशन शक्ति अभियान-4'' के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

''मिशन शक्ति अभियान-4'' व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 18.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ''मिशन शक्ति'' व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ''एंटी रोमियो स्क्वायड'' टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 18.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा अवैध तमंचे से फायर कर हत्या करने वाले आरोपी अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लाठी जिसके एक सिरे पर नुकीली धारदार चैन रिंग बिल्डिंग करायी हुई के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

शेष नारायण मिश्रा उर्फ पिन्टू मिश्रा पुत्र स्व0 गिरीश कुमार मिश्रा निवासी कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त शेष नारायण मिश्रा उर्फ पिन्टू मिश्रा उपरोक्त के अपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 05/23 धारा 376/452/506 भादवि0 व 4 पाक्सो एक्ट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
2. मु0अ0सं0 115/23 धारा 286/504/506 भादवि थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
3. मु0अ0सं0 124/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
4. मु0सि0सि0नं0- 3/23 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
5. मु0अ0सं0 50/25 धारा 103(1)/109(1)/351(2)/352 BNS थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
5. सि0सि0नं0- 38/25 व 38ए/25 धारा 126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही दिनांक 14.02.2025
6. वाद सं0- 551/23 मे जिला बदर दिनांक 27.02.24 से 06 माह के लिये

बरामदगीः-

1. अवैध तमंचा 315 बोर
2. 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. लाठी जिसके एक सिरे पर नुकीली धारदार चैन रिंग बिल्डिंग करायी हुई

गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक व समयः-

पिपरोंदर चौराहा के पास सड़क किनारे थाना पहाड़ी,दिनाँक 18.03.025,समय करीब 05.17 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 17.03.025 को वादी विपिन कुमार बाजपेयी पुत्र श्री शिवचरन बाजपेयी उर्फ कल्लू निवासी ग्राम कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि शाम करीब 05.30 बजे उसके पिता शिवचरन बाजपेयी व माता रेखा देवी अपने दरवाजे के सामने बैठे हुए थे व मामा अखिलेश कुमार और स्वयं वह साथ में बैठा था कि तभी मेरे ही गांव का रहने वाला पड़ोसी शेषनरायण मिश्रा उर्फ पिन्टू मिश्रा पुत्र गिरीश कुमार उर्फ मुन्ना मिश्रा गाली गलौच करते हुए मेरे दरवाजे के सामने आया और उसके पिताजी को गाली देने लगा पिताजी ने उसे गाली देने से मना किया तो उसने अपनी कमर में खुंसे हुए तमंचे को निकालकर फायर कर पिताजी के सीने में गोली मार दी और वह अपने घर की तरफ भागने लगा की तभी रास्ते में लक्ष्मीनारायण तिवारी उर्फ बालजी तिवारी पुत्र शंकरदयाल जो पड़ोस के ही रहने वाले हैं उनको भी शेषनारायण मिश्रा उर्फ पिन्टू मिश्रा ने तमंचे से गोली मार दी जिससे वह भी घायल हो गए। फायर की आवाज सुनकर तथा हम लोगों द्वारा शोर मचाये जाने पर राजकरन बाजपेयी व शिवपूजन बाजपेयी तथा गांव के तमाम लोग पहुंच गये। उक्त दोनों की गंभीर हालत होने CHC पहाड़ी लाया गया जहाँ से बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल रिफर किया गया। पिता शिवचरन बाजपेयी उर्फ कल्लू को डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया जिनका शव वहीं पर शवगृह में रखवा दिया गया है तथा घायल लक्ष्मी नारायण तिवारी उर्फ बालजी तिवारी जिनके हांथ व पेट में गोली लगी है जिनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें डाक्टर द्वारा स्वरुपरानी चिकित्सालय प्रयागराज रिफर कर दिया गया है। घटना के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 50/25 धारा 103(1)/109(1)/351(2)/352 BNS पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर

अभियुक्त शेषनारायण मिश्रा उर्फ पिन्टू मिश्रा उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 18.03.2025 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त पिन्टू मिश्रा उपरोक्त पिपरोंदर चौराहा के पास सड़क किनारे खड़ा है कहीं भागने की फिराक में है मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी व उनकी टीम द्वारा पिपरोंदर चौराहा के पास सड़क किनारे से अभियुक्त पिन्टू उपरोक्त को आलाकत्ल 01 अदद तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व हांथ में कटी हुई लाठी जिसके एक सिरे पर नुकीली धारदार चैन रिंग बिल्डिंग करायी हुई के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से अवैध तमंचा करातूस की बरामदगी सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली थाना पहाड़ी पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक पहाडी श्रीमती रीता सिंह
2. अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव
3. उ0नि0 जंगबहादुर सिंह
4. उ0नि0 अरमान आलम
5. उ0नि0 श्री अभिनव प्रताप सिंह
6. चालक हे0का0 नरेन्द्र पाल सिंह
7. का0 दीपक सिंह
8. का0 सचिन कुमार
9. का0 आनन्द प्रताप सिंह
10. का0 शरद कुमार सिंह

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 18.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2019 धारा 354,323,504,506 भादवि0 व 08 पॉस्को एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. केरा उर्फ विमल पुत्र ननकौना निवासी कालोनी का पुरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 2. पुरुषोत्तम पुत्र पहाड़ी 3. बब्लू उर्फ बुद्धविलास पुत्र पुरुषोत्तम 4.मालिक पुत्र पहाड़ी उर्फ छोटा निवासीगण ग्राम खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 06-06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 19.02.019 को वादी द्वारा थाना राजापुर सूचना दी गयी कि अभियुक्त 1. केरा उर्फ विमल पुत्र ननकौना निवासी कालोनी का पुरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 2. पुरुषोत्तम पुत्र पहाड़ी 3. बब्लू उर्फ बुद्धविलास पुत्र पुरुषोत्तम 4.मालिक पुत्र पहाड़ी उर्फ छोटा निवासीगण ग्राम खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा जब उनकी नाबालिक पुत्री शौच क्रिया हेतु गई थी तभी उसके साथ छेड़खानी किए व गाली गलौच, मारपीट कर जान से मारने की

धमकी दिए। घटना की सूचना पर थाना राजापुर पर मु0अ0सं0 35/2019 धारा 354,323,504,506 भादवि0 व 08 पॉस्को एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 दिनेश चन्द्र तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 19.07.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।